



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-21082023-248199
CG-DL-E-21082023-248199

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग III—खण्ड 4
PART III—Section 4

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 582]
No. 582]

नई दिल्ली, सोमवार, अगस्त 21, 2023/श्रावण 30, 1945
NEW DELHI, MONDAY, AUGUST 21, 2023/SHRAVANA 30, 1945

भारतीय चार्टर्ड अकाउंटेंट संस्थान

शुद्धि-पत्र

नई दिल्ली, 18 अगस्त, 2023

सं. 1-सीए(7)/201ए/2023.—भारतीय चार्टर्ड अकाउंटेंट संस्थान की अधिसूचना सं. 1-सीए(7)/201/2023 तारीख 21 जून, 2023, जिसे भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग 3, खंड 4, तारीख 22 जून, 2023 में प्रकाशित किया गया था, के हिंदी पाठ में कुछ त्रुटियां सूचना में आई हैं। इन त्रुटियों को इस शुद्धिपत्र के माध्यम से नीचे दिए गए ब्यौरों के अनुसार सही किया जा रहा है :-

- पृष्ठ 3-विनियम 28च के उप-विनियम (4) के खंड (क) में, “पचास प्रतिशत” के स्थान पर “पचपन प्रतिशत” पढ़ें।
- पृष्ठ 6-विनियम 38घ के उप-विनियम (4) में, “विनियम, 1964 की अनुसूची खख के” के स्थान पर “विनियम, 1964 की अनुसूची ख के पैरा 3 या पैरा 3क या अनुसूची खख के” पढ़ें।
- पृष्ठ 7-विनियम 40क में,—
(क) उप-विनियम (1) के खंड (ख) और खंड (ग) को क्रमशः खंड (ग) और खंड (ख) के रूप में पढ़ें।
(ख) उप-विनियम (1) के खंड (ग) में, “सूचना प्रौद्योगिकी और साफ्ट कौशलों संबंधी एकीकृत पाठ्यक्रम” शब्दों के स्थान पर “सूचना प्रौद्योगिकी और साफ्ट कौशलों संबंधी अग्रिम एकीकृत पाठ्यक्रम” पढ़ें।

सीए. (डा.) जय कुमार बत्रा, सचिव

[विज्ञापन III/4/असा./364/2023-24]

THE INSTITUTE OF CHARTERED ACCOUNTANTS OF INDIA
CORRIGENDUM

New Delhi, the 18th August, 2023

No.1-CA(7)/201A/2023.—In the Notification No.1-CA(7)/201/2023 dated 21st June, 2023 published in Part III- Section 4 of the Gazette of India, Extraordinary dated 22nd June, 2023 of the Institute of Chartered Accountants of India, certain errors were noticed in English version. These errors as per details given below, are hereby rectified by way of this Corrigendum:-

1. Page 15- In Regulation 40A,
 - (a) In sub regulation (1), the clause (b) and clause (c) be read as clause (c) and clause (b) respectively.
 - (b) In clause (c) of sub-regulation (1), the word “advanced” is missing and the same be now read before the words “Integrated Course on Information Technology and Soft Skills”.
2. Page 17- In Regulation 51F, in sub-regulation (2), the word “online” is missing and the same be now read after the words “self-paced”.

CA.(Dr.) JAI KUMAR BATRA, Secy.

[ADVT.-III/4/Exty./364/2023-24]